

19/9

पत्रावली के अंतर्गत प्रारंभिक तथा वहील प्राविण्य
के अभाव लगे गये। एच-एच अभाव
लगाते के अभाव न्यायालय हाजिरी नहीं
माने पर अवेरसु कदम हाजिरी अर्थात्
पत्रावली के अंतर्गत किन्तु पत्रावली) पत्रावली
अंशतः पूर्ण होकर अंशतः के अंतर्गत वहील

अंशतः
अंशतः